न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग
इजलाश श्रीमान सुनील कुमार झिंगोनिया आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग

मुकदमा नं0 279 / 2008

1. कमालुद्दीन
2. फजरू
3. छुट्टू

} पिसरान गूंगा जाति मेव निवासी ग्राम भण्डारा तहसील कामां जिला डीग राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. साकिर
2. जैकम

} पिसरान रहमत

3. दीनू (मृतक)
   - 3.1. मुस0 वशकरी बेवा दीनू
   - 3.2. दिलशाद
   - 3.3. आजाद
   - 3.4. तोहिद
   - 3.5. साकिर

   } पिसरान दीनू
4. रतीखां पुत्र नवला
5. फईमन बेवा इस्लाम उर्फ इमरत
6. आसू पुत्र इस्लाम उर्फ इमरत
7. मम्मल पुत्र सरजीत
8. जाविद
9. समीन
10. अमजद

} पिसरान शादी

11. मुस0 असगरी बेवा शादी
12. इब्राहिम
13. फजरू

} पिसरान टुण्डल

14. मुस0 हाजरा बेवा मुद्दीन पुत्री मुस0 छोटी बेवा रहीम खां
15. पल्टू
16. हसमल

} पिसरान दानू

17. जाविर
18. हक्कू
19. जुबेद
20. जमशीद
21. शाकिर
22. पुल्ली

} पिसरान जसमल जातियान मेवान निवासी ग्राम भण्डारा तहसील कामां जिला डीग प्रान्त राजस्थान।

असल प्रतिवादीगण

23. ममरेज
24. फिरोजा
25. चावला (मृतक)
    - 25.1. मुस0 मौहम्मदी बेवा चावला
26. रहमान (मृतक)
    - 26.1. आबिद पुत्र रहमान
27. आसीव पुत्र ईशाक
28. जाकिरवी बेवा ईशाक

} जातियान मेवान निवासी ग्राम भण्डारा तहसील कामां जिला डीग राजस्थान

तरतीवी प्रतिवादी

29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील कामां, डीग, राजस्थान

फौरमल प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

9/05/22

उपस्थित अधिवक्तागण

1. वादी अधिवक्ता श्री बृजलाल शर्मा।

दावा अन्तर्गत डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय

दिनांक 26.07.2024

वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा यह दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1578/0.07, 1942/0.31 एयर वाके ग्राम भण्डारा तहसील कामां में स्थित है सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2059–2062 पेश है तथा आराजी मुतदाविया पूर्व में खसरा नम्बर 910, 913 एवं 1542, 1488 थे जिनसे नये नम्बर 1578, 1942 बनाये गये जो कि नकल जमाबन्दी सम्वत् 1982 से साबित है। आराजी मुतदाविया पूर्व में सुगड पुत्र मजरू जाति मेव नि0 ग्राम भण्डारा तहसील कामां की खूद काश्त की आराजी थी जिस पर वह वहैसियत मालिक काबिज था जो कि वादीगण का व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 23, 24 का बाबा एवं 25, 26 का पिता तथा 27, 28 का खास पड़ बाबा था मुकदमें की जानकारी व सही हालात को समझने के लिए खानदानी सजरा निम्न प्रकार से है–

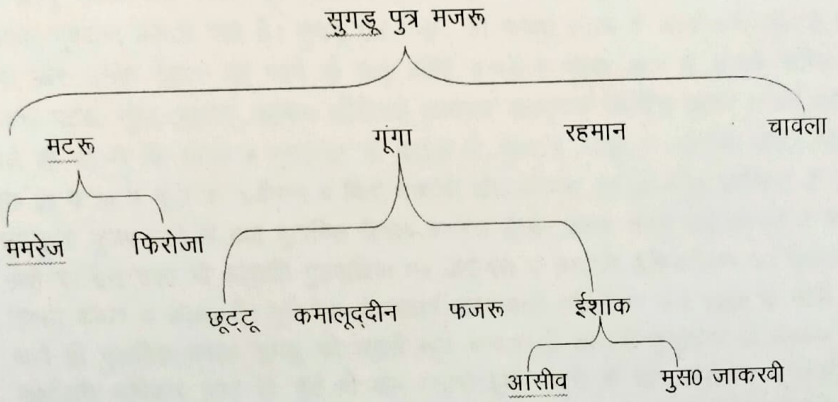

आराजी मुतदाविया प्रारम्भ से ही सुगडू पुत्र मजरू जाति मेव गोरवार गोत्र की खुद काश्त की आराजी थी जिसमें से आराजी खसरा नम्बर 1578/0.07 एयर में सुगडू द्वारा अपनी स्वयं की लागत से सम्वत् 1982 से पूर्व ही एक चाह पुख्ता का निर्माण किया था तथा इसी नम्बर के बिल्कुल पास ही सुगडू का विवादित दुसरा नम्बर 1942 है जिसकी व अपनी अन्य राजीयात की सै रावी करता था और खसरा नम्बर 1578 में स्थित चाह पुख्ता सुगडू का निजी था जिसका उपयोग व उपभोग सुगडू वहैसियत मालिक करता चला आ रहा था। उक्त वक्त आराजी मुतदाविया के खसरा नम्बर 1578 में स्थित चाह पुख्ता के अलावा काफी दूर–दूर तक के खेतों में कोई चाह पुख्ता नहीं था और सिंचाई करने का साधन पात्र बेलों, चरस, डहनीयों, रहट एवं लाव डालकर बेलों से पानी खींच कर सिंचाई की जाती थी। आराजी मुतदाविया के आस पास अन्य व्यक्तियों (काश्तकारों) के खेत थे जिनमें सींचाई करने का कोई साधन नहीं था और उस वक्त सुगडू अपने परिवार में अकेला था और सिंचाई हेतु संसाधन विकसित नहीं थे जिसके कारण आराजी मुतदाविया के पास अन्य व्यक्ति अपने खेतों

उपखण्ड अधिकारी

की सैरावी करने हेतु वक्त काश्त साल दर साल सुगडू से पानी बट पर लेते थे और उसी बट के आधार पर आराज़ी मुतदाविया में स्थित चाह पुख्ता से पानी लेकर सिंचाई करते थे और उन्हीं व्यक्तियों से सुगडू अपनी अन्य कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी मुतदाविया में स्थित चाह पुख्ता से सिंचाई हेतु जिस सम्वत के लिए पानी बट पर लिया था उन सम्वतों में उन पानी के बटैतियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज बतौर बटैती दर्ज होता रहा। सुगडू बाबा वादीगण पूर्व की भांति हर साल व सम्बत् के लिए अपनी खुदकाश्त की भूमि में स्थित चाह पुख्ता में से पानी (सिंचाई) के लिए बट पर देता था जिसके तहत सम्वत् 2010 में दो तीन साल को अमरसिंह पुत्र बहडू, चिराग अली, मौहम्मद अली पिसरान लाड खां रहमत पुत्र चंदरू, नवला पुत्र घीसा, रसूला इस्लाम उर्फ इमरत पिसरान दल खां, सरजीत पुत्र सिकन्दर, टुण्डल पुत्र अन्धू, रहीम खां व उसके बाद मुस0 छोटी बेवा रहीम खां, दानू को सुगडू ने हिस्सों के मुताबिक चाह पुख्ता सिंचाई हेतु बट पर दिया था जिसका नाजायज फायदा उठाकर उक्त लोगों ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर आराजी मुतदाविया पर अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दर्ज करा लिया उक्त इन्द्राज कतई गलत खिलाफ दर्ज लिया था। जबकि सुगडू ने उक्त लोगों को मात्र दो साल के लिए आराजी मुतदाविया में स्थित चाह पुख्ता पर (सिंचाई) पानी के लिए बटैती रखा था। मद नम्बर आठ में दर्ज बटैतियों में से अमरसिंह पुत्र बहडू लावल्द बिला औरत फौत हो गया और चिराग अली व मौहम्मद अली अपने परिवार के साथ भारत को छोडकर पाकिस्तान में बस गये, इसी प्रकार रसूला पुत्र दल खां भी अपने परिवार के साथ पाकिस्तान जाकर बस गया जिनका वादीगण को कोई अता–पता नही होने के कारण उन्हे पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है और ना ही वादीगण को उनके जीवित होने या नहीं होने के बारे में जानकारी है तथा रहमत पुत्र सिकन्दर, टुण्डल पुत्र अन्धू, छोटी बेवा रहीम खां, जसमल पुत्र दानू, फौत हो चुके है जिन्हे वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। सुगडू पुत्र मजरू का सम्वत 2026 के आस–पास देहान्त हो गया और उसके देहान्त हो जाने के बाद हरिये इन्तकाल नम्बर 481 से उसके वारिसान क्रमशः मटरू, गूंगा, चावला, रहमान वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे कि मटरू व गूंगा का भी देहान्त हो चुका है मटरू के तरतीवी प्रतिवादीगण सं0 23 व 24 व गूंगा के वादीगण व पिता तरतीवी प्रतिवादीगण सं0 27 व 28 वारिसान है जो सुगडू के गुजर जाने के बाद मुताबिक हिस्सा काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर इस वक्त भी आराजी मुतदाविया पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का मुताबिक हिस्सा कब्जा व काश्त है। मुताबिक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 के फोर्स में आते ही मुताबिक काश्त सुगडू को अपनी खुद काश्तकारी आराजी मुतनाजा के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे और उसके गुजर जाने के बाद वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। परन्तु राजस्व कार्मचारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में पहले सुगडू को खातेदार काश्तकार व उसके मरने के बाद वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज करने के बजाय मृतक मटरू, गूंगा, पिता वादीगण व तह0 प्रति0 चावला व रहमान के साथ मृतक अमरसिंह पुत्र बहडू, चिराग अली, मौहम्मद अली मृतक रहमत नवला, रसूला व मृतक इस्लाम उर्फ इमरत, मृतक सरजीत पुत्र सिकन्दर, मृतक टुण्डल मुस0 छोटी, जसमल एवं पल्टू, हसमल प्रतिवादीगण के नाम कतई गलत खिलाफ कानून, मौका व कब्जा दर्ज किया जा रहा है उक्त गलत इन्द्राज का इल्म वादीगण को दिनांक 26.07.2008 को नकल जमाबन्दी मिलने पर हुआ। विदी वजह वादीगण एवं तह0 प्रति0 अपने आपको आराजी मुतनाजा पर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है और जो इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में मृतक मटरू, गूंगा, तह0 प्रति0 नम्बर 23,24,25,26,27,28 क्रमशः चावला व रहमान के साथ मृतक पिता व पति प्रतिवादीगण असल व चिराग अली मौहम्मदअली, रसूला पुत्र दल खां, मृतक अमरसिंह के नाम आराजी मुतदाविया के सम्बन्ध में दर्ज हो रहा है उसे कलमजन कराकर अपने आपको खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के

उपखण्ड अधिकारी

अधिकारी है। प्रतिवादीगण का अब आराजी मुतदाविया से कोई सम्बन्ध किसी किस्म का बट समाप्त हो जाने के बाद से न तो पहले कभी रहा था और ना ही इस वक्त है परन्तु प्रतिवादीगण व उनके मृतक पिता व पति के नाम राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज के आधार पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे व काश्त में मजाहमत व मदाखलत करते है तथा वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को उनके शान्तिपूर्वक कब्जे व काश्त से बेदखल कर कब्जा करना चाहते है जिसकी बावत प्रतिवादीगण ने दिनांक 26.11.2008 को एलानियां धमकी दी है यदि प्रतिवादीगण अपने इस इरादे में कामयाब हो गये तो वादीगण व तह0 प्रति0 को अपरमित क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति जरै नकद से कदापि सम्भव न हो सकेगी विधि वजह वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण असल डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी जारी करा पाने के अधिकारी है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 बावजूद सूचना अखबार साया उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 25.10.2012 को उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण 3 लगायत 22 द्वारा वादीगण के दावा का विरोध करते हुए जबाव दावा इस आधार पर पेश किया कि वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध गलत तरीके से कानून के विपरीत तथा प्रतिवादीगण की आराजी मुतदाविया तथा चाह पुख्ता की भूमि एवं निर्मित पुख्ता कुआ को हडपने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो कानूनन खारिज किये जाने के योग्य है। वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुगों एवं प्रतिवादीगण असल के बुजुगों ने मिलकर सिंचाई हेतु आराजी मुतनाजा में पुख्ता कुआ का निर्माण किया था। जिससे सभी मिलकर सिंचाई अपने जीवनकाल में करते रहे। तथा उनके मरने के बाद वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण और प्रतिवादीगण असल आराजी मुतदाविया पर अपने–अपने हिस्से के मुताबिक काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं और निर्मित चाह पुख्ता से निरन्तर आराजी मुतदाविया एवं अपनी अन्य भूमि की सिंचाई करते चले आ रहे हैं तथा मुताबिक मौका व कब्जा व राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज प्रतिवादीगण असल के नाम सही दर्ज होता चला आ रहा है तथा आराजी मुतदाविया का राज लगान असल प्रतिवादीगण जमा कराते चले आ रहे हैं। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का असल प्रतिवादीगण के हिस्से से कभी कोई संबंध नहीं रहा है और न ही इस समय है। इसलिए दावा वादीगण काबिले खारिजी है।

वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण के दावा व जबाव दावा के आधार पर दिनांक 02.04.2013 को निम्न तनकीयात कायम की गई :–

तनकी नं0–01 :– आया विवादित आराजी मुतदाविया पूर्व के खसरा नम्बर 910, 913 व 1542, 1488 से बनाये गये थे जो कि सुगडू पुत्र मजरू जाति मेव निवासी भण्डारा की खुदकाश्त की आराजी थी जिसमें चाह पुख्ता बना हुआ था – जिम्मे वादीगण।

तनकी नं0–02 :– आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 1578/0.07, 1942/0.31 एयर वाके ग्राम भण्डारा तहसील कामाँ में से खसरा नम्बर 1578/0.07 एयर में स्थित चाह पुख्ता से बाबा सुगडू फसल सिंचाई हेतु प्रतिवादीगण के पूर्वज वर्णित मद नम्बर 08 वादपत्र को बट पर पानी दिया था जिन्होने राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम गलत दर्ज करा लिया जिसे वादीगण कलमजन कराकर अपने नाम बाहिस्सा बराबर दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं – जिम्मे वादीगण।

तनकी नं0–03 :– आया वादीगण प्रतिवादीगण को डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं – जिम्मे वादीगण।

तनकी नं0–04 :– आया आराजी खसरा नम्बर 1578/0.07 एयर में चाह पुख्ता का निर्माण प्रतिवादीगण संख्या 03 लगायत 22 के पूर्वजों ने किया था – जिम्मे प्रतिवादीगण असल।

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

तनकी नं0–05 :– आया राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है जिसे दफा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है इसलिए दावा वादीगण काबिले खारिजी के है – जिम्मे प्रतिवादीगण असल।

तनकी नं0–06 :– दादरसी।

तनकीयात कायम करने के पश्चात असल प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ दिनांक 09.09.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई व वादीगण द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू–01 कमालूद्दीन, पी0डब्ल्यू–02 उम्मर के बयान कराये गये व दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत् 2059–2062 प्रदर्श–पी–01, जमाबन्दी संवत् 1982 (रियासत काल) प्रदर्श–पी–02, नकल खसरा संवत् 2003 लगायत 2006 प्रदर्श–पी–03, नकल खसरा टीप संवत् 1999 लगायत 2002 प्रदर्श–पी–04, खसरा टीप संवत् 2007 लगायत 2010 प्रदर्श–पी–05, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2011 लगायत 2014 प्रदर्श–पी–06, नकल जमाबन्दी खेवट खतौनी संवत् 2010 लगायत 2013 प्रदर्श–पी–07 पेश की है। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में दावा दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि आराजी मुतदाविया प्रारम्भ से ही सुगडू पुत्र मजरू की खुदकाश्त की आराजी थी जिसमें आराजी खसरा नम्बर 1578/0.07 एयर में सुगडू द्वारा अपनी स्वंय की लागत से संवत् 1982 से पूर्व ही एक चाह पुख्ता का निर्माण किया था इसी नम्बर के बिल्कुल पास ही सुगडू का दूसरा नम्बर 1942 है जिसकी व अन्य आराजीयात की सैरावी करता था और खसरा नम्बर 1978 में स्थित चाह पुख्ता सुगडू का निजी था जिसका उपयोग व उपभोग सुगडू वाहैसियत मालिक करता चला आ रहा था। खसरा नम्बर 1578 में इस चाह पुख्ता के अलावा काफी दूर–दूर तक खतों में कोई चाह पुख्ता नहीं था और सिंचाई करने का साधन मात्र बैलों, चरस, ढैनियां, रहट और लोव डालकर बैलों से पानी सिंचकर सिंचाई की जाती थी। वादीगण का बाबा सुगडू आराजी मुतदाविया के पास अन्य व्यक्ति अपने खेतों की सैरावी करने हेतु वक्त काश्त साल दर साल सुगडू से पानी बट पर लेते थे और उसी बट के आधार पर आराजी मुतदाविया में स्थित चाह पुख्ता से पानी लेकर सिंचाई करते थे जिसके तहत संवत् 2010 में दो–तीन साल को अमरसिंह पुत्र बहैडू, चिरागअली, मौहम्मद अली पिसरान लाडखाँ, रहमत पुत्र चन्द्रु, नवला पुत्र घीसा, रसूला, इस्लाम उर्फ इमरत पिसराल दल खाँ, सरजीत पुत्र सिकन्दर, टुण्डल पुत्र अंधू, रहीम खाँ व उसके बाद मुसम्मा छोटी बेबा रहीम खाँ, दानू को सुगडू ने हिस्सा के मुताबिक चाह पुख्ता सिंचाई हेतु बट पर दिया था जिसका नाजायज फायदा उठाकर उक्त लोगों ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर आराजी मुतदाविया पर अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दर्ज करा लिया। उक्त इन्द्राज कतई गलत खिलाफ कानून मौका व कब्जा है जिसे कलमजन कराकर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण अपने नाम दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं।

हमने वादीगण के अधिवक्ता की बहस व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अलोकन किया गया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–पी–02 में खसरा नम्बर 910, 913, 1542, 1448 के बाबत् सुगडू पुत्र मजरू कौम मेव साकिन देह के नाम खुदकाश्त का इन्द्राज है जिसके आधार पर खसरा नम्बर 1578 व 1942 बनाये जाना इन पर भी सुगडू पुत्र मजरू के नाम प्रदर्श–पी–03 से होना साबित है जिससे आराजी मुतदाविया सुगडू पुत्र मजरू की खुदकाश्त की होना साबित होता है। इसलिए तनकी नम्बर–01 वापक्ष वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर–02 के संदर्भ में हमने वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत् 2010 लगायत 2013 का अवलोकन किया जिसमें आराजी मुतदाविया में स्थित चाह पुख्ता से प्रतिवादीगण व उनके बुजुर्गान को सिंचाई करने हेतु चाह पुख्ता को जरिये लाव बट पर दिया जाना साबित होता है। संवत् 1982 की जमाबन्दी के इन्द्राज व संवत् 2003

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

से 2006 की खसरा टीप के इन्द्राज से आराजी मुतदाविया का सुगडू पुत्र मजरू की बुदकाश्त की होना व इस खसरा नम्बर 1578/0.07 में चाह पुख्ता बना होना साबित है व प्रतिवादीगण के बुजुर्गान को पानी बट पर दिये जाने के इन्द्राज हैं। कानूनन सिंचाई हेतु पानी बट पर लेने वाले प्रतिवादीगण के बुजुर्गान को आराजी मुतदाविया के संबंध में कोई अधिकार हांसिल नहीं होते हैं। प्रतिवादीगण असल द्वारा इस पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे खसरा नम्बर 1578/0.07 में उनके द्वारा चाह पुख्ता का निर्माण कराया जाना साबित होता हो। दस्तावेजी सबूत से वादीगण इस तनकी को साबित करने में सफल रहे हैं। इसलिए तनकी नम्बर–02 भी वापक्ष वादीगण खिलाफ असल प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर–03 यह तनकी, तनकी नम्बर–01 व 02 की पूरक है। तनकी नम्बर 01 व 02 वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। इसलिए तनकी नम्बर 03 को भी वापक्ष वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर–04 इस तनकी को साबित करने का भार असल प्रतिवादीगण पर है परन्तु असल प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाव दावा में दर्ज कथनों को साबित करने हेतु कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है और ना ही न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी कोई साक्ष्य पेश की है जिसके सवव यह तनकी वापक्ष वादीगण खिलाफ असल प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर–05 जो राज्य सरकार से संबंधित है। वादीगण का यह कथन कि धारा 80 जा0 दी0 के नोटिस के बारे में एतराज उठाने का अधिकार केवल संबंधित पक्षकार को है अन्य प्रतिवादीगण को सरकार के नोटिस के बारे में उज्र व ऐतराज उठाने का अधिकार नहीं है काबिले स्वीकार योग्य है। इसलिए यह तनकी नम्बर 05 वापक्ष वादीगण खिलाफ असल प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है। उपरोक्त विवेचन से वादीगण अपने वादपत्र को साबित करने में सफल रहे हैं। इसलिए वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर 1578/0.07, 1942/0.31 हैक्टेयर वाके ग्राम भण्डारा तहसील कामां पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त नम्बरान के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में किये जा रहे इन्द्राज को कलमजन किया जाकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज दर्ज किये जाने की इजाजत प्रदान की जाती है। पर्चा डिक्री प्रथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावे।

आज यह निर्णय दिनांक 26.07.2024 खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
कामाँ (डीग) राज०